CENTRE FOR AMBITION

(An Institute for Civil Services)

Current Affairs January

'बीबीआईएन' मोटर वाहन समझौता?

- हाल ही में बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने जून 2015 में हस्ताक्षरित बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते के तहत उपक्षेत्र में यात्री वाहन आवा-जाही के लिये परिचालनगत प्रक्रियाओं के मूल विषय पर सहमति जताई है।
- प्रतिभागी देशों ने इस समझौते के तहत कार्गो वाहनों के लिये और अधिक ट्रायल रन संचालित करने पर भी सहमति जताई है। तीनों देशों के उच्चस्तरीय अधिकारियों ने इस संबंध में एक बैठक कर इस योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की है।
- उल्लेखनीय है कि इस बैठक का संयोजन एवं इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की।
- जबकि पर्यवेक्षक के रूप में भूटान का आधिकारिक शिष्टमंडल भी इस बैठक में मौजूद रहा है।

बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता?

- बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते का अर्थ है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता।
- वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच भूटान की राजधानी थिंपू में बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह समझौता यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन के हेतु अमल में लाया जा रहा है।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना है।
- यदि यह समझौता अमल में आता है तो इसमें शामिल देश ट्रकों तथा अन्य कमर्शियल वाहनों को एक-दूसरे के राजमार्गों पर चलने की इजाज़त देंगे।
- यह एक क्षेत्रीय उप-समूह है जिससे ये चारों देश एक-दूसरे के यहाँ अपनी पहुँच को सुगम (ease of access among the four countries) बनाएंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता?

- बीबीआईएन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल होगा।
- प्रत्येक देश क्षेत्रीय समन्वय को स्थापित करने की दिशा में एक संस्थागत प्रक्रिया का सृजन करने में सक्षम होगा।
- यात्रियों एवं वस्तुओं की सीमा पार द्विपक्षीय आवा-जाही से इन देशों को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का सम्पूर्ण आर्थिक विकास हो सकेगा।
- इन चारों देशों की सीमाओं में यात्रियों एवं वस्तुओं की बेरोक आवा-जाही का लाभ यहाँ के लोगों को ही मिलेगा।
- इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से इन देशों के आपसी व्यापार में 60 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में 30 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।
- गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (Asia Sub regional Economic Cooperation program) की एक पहल के तौर पर इस परियोजना को तकनीकी, सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

क्या है एशियाई विकास बैंक?

- एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East) द्वारा एक संकल्प के माध्यम से की गई।
- इसकी कल्पना एशिया और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में चौथा बड़ा शेयरधारक है।

एशियाई विकास बैंक का महत्त्व:

- भारत को एडीबी द्वारा प्रथम ऋण सन 1986 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 100 मिलियन डॉलर की राशि मिली थी।
- इससे भारत को मध्यम-आकार के उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा नई तकनीकों के विकास में काफी सफलता मिली।
- एडीबी द्वारा भारत के राज्यों को भी सीधे सहायता दी जा सकती है। इस दिशा में गुजरात प्रथम राज्य है जिसने एडीबी से सहयता प्राप्त की है।
- हालिया संदर्भों में देखें तो बिजली की पहुँच को बढ़ावा देने के लिये बांग्लादेश-भारत के बीच पहली पावर इंटर-कनेक्शन फीड्स एडीबी द्वारा ऋण सहायता दी गई है, जिससे सीमा के दोनों ओर के लोगों को बिजली मिल सके।
- एडीबी द्वारा सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिये साख वर्द्धन उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है।
- भारत में इसके लिये एडीबी भारतीय बैंकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को स्थानीय मुद्रा में सहायता मिल सके। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विज़न 'तेज़, अधिक समावेशी और सतत् विकास' के लिये एडीबी की भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण है।
- एडीबी झारखंड राज्य की सड़कों का उन्नयन जारी रखने में मदद हेतु ऋण प्रदान कर रहा है, जो राज्य में नए आर्थिक अवसरों को खोलने और गरीबों के लिये सेवाओं के उपयोग में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि एडीबी द्वारा प्रदत्त ऋण भारत जैसे राष्ट्रों के लिये सार्वजनिक निवेश की तुलना में काफी कम होते हैं, फिर भी इससे भारत के विकास को समावेशी और तीव्र बनाने में एडीबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होनी चाहिये : रिपोर्ट

सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस तथा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से ज़ारी रिपोर्ट 'The United States and India: Forging an Indispensable Democratic Partnership' के मुताबिक भारत को सेना, नौसेना और वायु सेना के लिये रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को 'पारदर्शी, कुशल और प्रभावी' बनाने के लिये 'कम लागत के दृष्टिकोण' (Low-Cost Approach) पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

रिपोर्ट से प्रमुख विश्लेषण

- रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण में और रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास से दोनों देशों में रोज़गार के सृजन और रक्षा उपकरणों की लागत को नीचे लाने में सहायता मिलेगी।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत को रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Process-DPP) में संशोधन करके अपनी ऑफसेट नीति को विस्तारित करने की आवश्यकता है। एक बेहतर और निष्पक्ष खरीद प्रक्रिया रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।
- ऑफसेट नियमों के तहत भारत सरकार के साथ सौदा करने वाली विदेशी कंपनी को सौदे का 30 प्रतिशत सामान भारत से खरीदना आवश्यक होता है। रक्षा खरीद नीति-2016 में ऑफसेट सीमा को 300 करोड से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- भारत को भी इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिये कि रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण में सबसे कम लागत का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि सर्वाधिक महत्त्व वाली और सक्षम प्रणाली सबसे कम लागत वाली नहीं हो सकती।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि रक्षा समझौतों के कार्यान्वयन से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी, अमेरिकी आसूचना तक पहुँच और अमेरिकी समकक्षों के साथ सुरक्षित संचार संपर्क स्थापित होने जैसे विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते

- भारत-अमेरिका के बीच लंबित रक्षा समझौतों का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है कि भारत एक 'कठिन वार्ताकार' (Tough Negotiator) है और रक्षा क्षेत्र के मूलभूत और संवेदनशील समझौतों पर बातचीत करते समय भारत को "कुछ विश्वास" के साथ वार्ता के लिये आना चाहिये।
- उल्लेखनीय है की भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA) पर हस्ताक्षर किये थे।
- LEMOA के तहत दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य साजो-सामान और सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस रक्षा सहयोग का उद्देश्य हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति और उन्हें सुधारने में एक-दूसरे का सहयोग करना है।
- हालाँकि, भारत में किसी भी सैन्य अड्डे को स्थापित करने या इस तरह की किसी गतिविधि का कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं है।
- भारत और अमेरिका के बीच 'संचार संगतता और सुरक्षा समझौता' (Communications Compatibility and Security Agreement-COMCASA) तथा 'भू-स्थानिक सूचना और सेवा सहयोग के लिये बुनियादी आदान-प्रदान एवं सहयोग समझौता' (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Information and Services Cooperation-BECA) पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं।

क्या है COMCASA?

- COMCASA को अमेरिका में CISMOA (Communication and Information Security Memorandum of Agreement) भी कहा जाता है।
- यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने इन्क्रिप्टेड (Encrypted) संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को भारत के साथ साझा करने की अनुमति देगा, जिससे दोनों पक्षों के उच्च स्तर के सैन्य-नेतृत्व के बीच युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में ही सुरक्षित संचार संभव हो सकेगा।
- CISMOA का विस्तार नौसेना और वायु सेना सहित सभी भारतीय और अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों तक होगा। इससे संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षित संचार में सहायता मिलेगी।
- इस तरह की उन्नत प्रौद्योगिकियों और संवेदनशील उपकरणों को सामान्यत अमेरिका से खरीदे गए सिस्टमों पर ही स्थापित किया जाता है। अतः यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

क्या है BECA?

- यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य और नागरिक दोनों ही उद्देश्यों के लिये स्थल, समुद्री एवं वैमानिकी तीनो प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायता करने के लिये वैधानिक ढांचा निर्धारित करेगा।

निष्कर्ष

- LEMOA, BECA और COMCASA तीनों समझौते भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब भारत को अमेरिका के 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' (Major Defence Partner) के रूप में मान्यता दी जा रही है। वर्तमान में अमेरिकी सरकार अपने अत्याधुनिक एफ -16 ब्लॉक 70 लड़ाकू विमान और सी-गार्डियन ड्रोन्स (Sea Guardian Drones) भारत को बेचने की योजना बना रही है।
- सी-गार्डियन ड्रोन अमेरिका सहित उसकी सहयोगी सेनाओं का प्रमुख रक्षा उपकरण है। भारत पहला गैर-नाटो देश है जिसे इस ड्रोन की पेशकश की गई है। इससे हिन्द महासागर में भारत का निगरानी तंत्र मज़बूत होगा। इस ड्रोन को इज़राइल के हेरॉन ड्रोन का प्रतियोगी माना जा रहा है।

वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट- 2018

चर्चा में क्यों?

विधि-सम्मत रूप से अपनी स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन-2018 (World Future Energy Summit-WFES) में 17 से 18 जनवरी, 2018 के दौरान दो दिवसीय 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन मंच' (International Solar Alliance Forum-ISAF) की मेजबानी की।

क्या है WFES?

- WFES 'अबूधाबी सस्टेनेबिलिटी वीक' (Abu Dhabi Sustainability Week) नामक वैश्विक पहल द्वारा आयोजित एक अनूठा कार्यक्रम है।
- 15-18 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी आबूधाबी के मसदर सिटी द्वारा की गई।
- वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन दुनिया भर से परियोजना डेवलपर्स, वितरकों, नवोन्मेषकों, निवेशकों और खरीददारों के लिये बिज़नेस-फर्स्ट प्रकार की प्रदर्शनी है जो दुनिया की बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के समाधानों की खोज के लिये सभी को एक साझा मंच उपलब्ध कराती है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फोरम के पहले दिन 17 जनवरी, 2018 को ISA ऊर्जा मंत्रियों के विस्तृत मंत्रीस्तरीय सत्र का आयोजन किया गया।
- उन्होंने ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच और सोलर परियोजनाओं के विकास और अनुसंधान, नवाचार और तकनीक के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, सहक्रियाओं और ज्ञान साझाकरण के लाभों पर विचार प्रस्तुत किये।
- इस अवसर पर भारत द्वारा यह रेखांकित किया गया कि समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती हो गई है और यह परंपरागत ऊर्जा को प्रतिस्थापित करने के लिये तैयार है। यह स्वस्थ और धारणीय विकास का सूचक है।
- भारत के पास विश्व में तीव्र गति वाला नवीनकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है और इसकी संभावना है कि भारत वर्ष 2020 से पूर्व ही अपने 175 गीगावाट की स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
- इसके अतिरिक्त सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये भारत सरकार द्वारा $350 मिलियन की सौर विकास निधि की स्थापना की घोषणा की गई।
- अप्रैल 2018 तक ISA के अंतर्गत 100 से अधिक परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किये जायेगे।

- ISA के अंतरिम महानिदेशक द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 से 21 अप्रैल, 2018 तक आयोजित की जाने वाली दूसरी रि-इन्वेस्ट (RE-INVEST) बैठक के संबंध में जानकारी दी गई।

क्या है ISA?

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- 6 दिसंबर, 2017 को 15 देशो द्वारा अनुमोदन होने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ। इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन का दर्ज़ा दे दिया।
- अभी तक 19 देशों ने इसे स्वीकृति दी है और 48 देश इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।
- एक क्रिया-उन्मुख संगठन के रूप में ISA सौर परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रारंभ करने में सहयोग प्रदान करता है।
- सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिये ISA सौर क्षमता से समृद्ध देशों को एक साथ लाता है। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे-
  - ► थोक खरीद के माध्यम से कीमतों में कमी।
  - ► मौजूदा सौर प्रौद्योगिकियों की बड़े पैमाने पर तैनाती में आसानी।
  - ► सामूहिक रूप से क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा।

क्या है RE-इन्वेस्ट?

- RE-INVEST श्रृंखला की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिये रणनीतियों पर विचार करने के लिये एक वैश्विक पहल के रूप में कल्पना की गई है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में 19-21 अप्रैल, 2018 से 2nd ग्लोबल री-इन्वेस्ट इंडिया-ISA पार्टनरशिप नवीकरणीय ऊर्जा इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।
- इस संस्करण के लिये भागीदार देश फ्राँस है।

भारत ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बन गया है। भारत इस समूह का सदस्य बनने वाला 43वाँ सदस्य है।

क्या है ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group-AG)?

- ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं ताकि, रासायनिक और जैविक हथियारों (Chemical and Biological Weapons-CBW) के विकास या अधिग्रहण में इनका प्रयोग ना किया जा सके।
- इसका यह नाम इसलिये है क्योंकि ऑस्ट्रलिया ने यह समूह बनाने के लिये पहल की थी और वही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन देखता है।

- ईरान-इराक युद्ध (1984) में जब इराक ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, (1925 जेनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन) तब रासायनिक व जैविक हथियारों के आयात-निर्यात और प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये 1985 में इस समूह का गठन किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया समूह का मुख्य उद्देश्य रासायनिक तथा जैविक हथियारों की रोकथाम हेतु नियम निर्धारित करना है। ऑस्ट्रेलिया समूह इन हथियारों के निर्यात पर नियंत्रण रखने के अलावा 54 विशेष प्रकार के यौगिकों के प्रसार पर नियंत्रण रखता है।
- ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार सम्मेलन (Chemical Weapons Convention-CWC) और जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention-BWC) का अनुसमर्थन करते हैं।

अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ

ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapon of Mass Destruction) के प्रसार और उनके वितरण के साधनों की रोकथाम के लिये कार्य करती हैं।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR)

- अप्रैल 1987 में जी-7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर आण्विक हथियार से युक्त प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये एक समझौता किया था, जिसे MTCR कहा गया।
- 26 जून, 2016 को भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बना था।
- वर्तमान में एमटीसीआर 35 देशों का एक समूह है और चीन तथा पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं हैं। फ्राँस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और कनाडा इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं।
- स्वैच्छिक एमटीसीआर का उद्देश्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य मानव रहित आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार को सीमित करना है, जिनका रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में उपयोग किया जा सकता है।

वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement-WA)

- इसकी स्थापना जुलाई 1996 में वासेनार (नीदरलैंड्स) में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।
- दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ था।
- परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे- सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group-NSG)

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह 48 देशों का समूह है।
- इसका गठन 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रियास्वरूप किया गया था।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही किया जाए।
- परमाणु हथियार बनाने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक सभी इसी के दायरे में आते हैं।
- भारत द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों को चीन द्वारा बाधित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से जुड़ने के लाभ

- परमाणु अप्रसार क्षेत्र में देश का कद बढ़ने के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
- भारत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों को हासिल कर पाएगा।
- 48 सदस्यों वाले परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह के लिये भारत की दावेदारी मज़बूत होगी।

- परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भारत अप्रसार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएगा और अप्रसार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को वैश्विक पहचान मिलेगी।
- चीन AG, MTCR और WA का सदस्य नहीं है। इस प्रकार इनकी सदस्यता प्राप्त कर लेना अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारत की रणनीतिक विजय है।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गैर-प्रसार के वैश्विक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

भारत में बेरोजगारी दर बढ़ने का अनुमान : वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation-ILO) ने अपनी नवीनतम **'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक' (World Employment and Social Outlook)** रिपोर्ट में वर्ष 2017 तथा **2018 में भारत में बेरोजगारी दर में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान** लगाया है। पहले इसके 3.4% तक रहने का अनुमान लगाया गया था।

भारतीय संदर्भ

- वर्ष 2017 में देश में **बेरोज़गारों की संख्या** 17.8 मिलियन की बजाय **18.3 मिलियन तक** रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- वर्ष 2018 में ILO के अनुमान के मुताबिक बेरोज़गारों की संख्या 18.6 मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि पहले इसी रिपोर्ट में बेरोज़गारों की संख्या 18 मिलियन रहने का अनुमान लगाया गया था।
- प्रतिशत के संदर्भ में ILO ने सभी तीन वर्षों **2017, 2018 और 2019 के लिये भारत में बेरोज़गारी दर 3.5% पर स्थिर रहने का अनुमान** लगाया है।
- एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2017 से 2019 के दौरान 23 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित होंगी और भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों में नए रोज़गार सृजित होंगे किंतु पूरे क्षेत्र में बेरोज़गारों की संख्या बढ़ेगी।

वैश्विक संदर्भ

- एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेरोज़गारों की संख्या वर्ष 2018 में 83.6 मिलियन तथा वर्ष 2019 में 84.6 मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2017 में यह 82.9 मिलियन थी।
- चीन में भी वर्ष 2018 में बेरोज़गारों की संख्या 37.6 मिलियन तथा 2019 में 37.8 मिलियन तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 2017 में इसके 37.4 मिलियन रहने का अनुमान था।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक़ **अनौपचारिकता की व्यापकता** ने दक्षिण एशिया में कार्यशील गरीबी को कम करने की संभावनाओं को और कम करना जारी रखा है।
- वैश्विक रूप से वर्ष 2018 में बेरोज़गारों की संख्या 192.3 मिलियन हो जाएगी, जबकि 2017 में यह 192.7 मिलियन थी।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है की मज़बूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद कम गुणवत्ता वाली नौकरियाँ सृजित हो रही हैं तथा वर्ष 2019 तक दक्षिण एशिया के 72% कामगारों के रोज़गार अतिसंवेदनशील अवस्था में रहेंगे।
- ILO के अनुसार **अतिसंवेदनशील रोज़गार (Vulnerable Employment)** उन लोगों को संदर्भित करता है जो अत्यंत संकटकालीन परिस्थितियों में नियोजित हैं, उनके पास रोज़गार की औपचारिक व्यवस्था नहीं है और सामाजिक सुरक्षा के लिये किसी कार्यक्रम या योजना तक इनकी पहुँच नहीं है और इस प्रकार वे आर्थिक चक्र में खतरे की स्थिति में हैं।
- **रिपोर्ट के अनुसार अतिसंवेदनशील रोज़गार दक्षिण एशिया में लगभग 72%, दक्षिण-पूर्व एशिया में 46% तथा पश्चिम एशिया में 31% श्रमिकों को प्रभावित करेगा और पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।**

अन्य तथ्य

- सरकार ने रोजगार के आकड़ों पर बनी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अब **नीति आयोग इस वर्ष सितंबर से रोज़गार के तिमाही आँकडे जारी करना शुरू करेगा।**
- ये आँकडे परिवारों पर कराए गए सर्वेक्षणों पर आधारित होंगे और रोज़गार के आँकडे जुटाने के लिये यह व्यापक सर्वेक्षण का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश : चीन

चर्चा में क्यों?

चीन ने अपने महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिये चंद्रमा से दूर दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग (soft landing) करने के संबंध में अपनी अपनी योजना की घोषणा की है। चीन के इस मिशन को "चैंग'ई 4" परियोजना (Chang'e 4 project) कहा जाता है।

"चैंग'ई 4" परियोजना क्या है?

- "चैंग'ई 4" (Chang'e 4), चीन की चंद्र मिशन (lunar mission) श्रृंखला का चौथा अभियान है।
- चीन द्वारा इसका नाम चीनी चंद्र देवी के नाम पर रखा गया है।
- 425 किलोग्राम रिले सैटेलाइट (relay satellite) वाला यह लॉन्ग मार्च 4 सी रॉकेट (Long March 4C rocket) चंद्रमा से 60,000 किलोमीटर की दूरी से अपना कार्य आरंभ करेगा।
- यह रिले सैटेलाइट पृथ्वी और चंद्रमा से दूरी के बीच एक प्रारंभिक संचार लिंक के रूप में कार्य करेगा।
- ऐसा होने के बाद चीन द्वारा इस मिशन के दूसरे भाग को चालू किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत यह चंद्रमा के अनपेक्षित क्षेत्र में एक लैंडर (lander) और रोवर (rover) को भेजेगी ताकि चंद्रमा के विषय में अधिक-से-अधिक महत्त्वपूर्ण जानकरियाँ प्राप्त की जा सके।

प्रमुख बिंदु

- विशेषज्ञों के मुताबिक, चंद्रमा से दूरी बनाते हुए लैंडिंग करने वाला यह मिशन निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी देश द्वारा शुरू किये गए सबसे चुनौतीपूर्ण चंद्र मिशनों में से एक है। चंद्रमा के इस दूरी वाले इलाके को 'दक्षिण ध्रुव-एटकेन बेसिन' (South Pole-Aitken Basin) के रूप में जाना जाता है।
- चंद्रमा का यह क्षेत्र अभी तक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच एक रहस्य बना हुआ है, ऐसे में चीन का यह मिशन चंद मिशन के संबंध में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा।
- इस अभियान के दौरान आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई संचार संबंधी मुद्दों से उत्पन्न समस्या है।

इस संबंध में चीन द्वारा ट्रांसमिशन माध्यम के अभाव में संवाद स्थापित करने के लिये रेडबोड विश्वविद्यालय के हेनो फाल्के द्वारा विकसित रेडियो टेलिस्कोप जैसे विकल्पों का उपयोग किये जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का इतिहास

- चीन ने 2007 में 'चैंग'ई 1' (Chang'e 1) के नाम से अपना चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किया गया।
- यह एक साधारण चंद्र श्रंखला वाला कार्यक्रम है।
- 'चैंग'ई 2' (Chang'e 2) नामक दूसरे चंद्र अभियान को वर्ष 2010 में तथा इसके कुछ समय बाद तीसरे अभियान 'चैंग'ई 3' (Chang'e 3) को शुरू किया गया।

कजाखस्तान में चीन का नया 'ड्राय-पोर्ट'

चर्चा में क्यों?

कजाखस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थित खोर्गोस (Khorgos) में चीन ने निवेश के माध्यम से एक ड्राय-पोर्ट में हिस्सेदारी हासिल की है। यहाँ चीन की शिपिंग कंपनी 'कॉस्को' मालवाहक ट्रेनों पर कंटेनर लादने का काम कर रही है। भविष्य में इस जगह के ट्रांसपोर्ट-हब के रूप में विकसित होने की संभावना है, जो वन बेल्ट-वन रोड का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनकर चीन के सामान की पहुँच सुदूर यूरोप तक संभव बना देगा।

प्रमुख बिंदु

- विश्व के कई समुद्री बंदरगाहों में निवेश करने के बाद चीन द्वारा एक भू-आबद्ध (Landlocked) देश कजाखस्तान में एक ड्राय-पोर्ट के विकास में बड़ा निवेश करना नई बात है।
- खोर्गोस का उत्तरी क्षेत्र शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच तनाव वाला क्षेत्र रहा है।
- खोर्गोस से निकटतम समुद्री तट लगभग 2500 किमी. दूर है।
- कजाखस्तान का यह क्षेत्र अनुर्वर और निर्जन है। यहाँ कार्यरत कंपनियों के कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों आदि के निर्माण से धीरे-धीरे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है।

प्रभाव

- सामान्य तौर पर समुद्री मार्ग द्वारा चीन से यूरोप सामान पहुँचाने में 40-50 दिन लगते हैं, लेकिन इस नए ट्रांसपोर्ट हब से रेलमार्ग द्वारा यह समय घटकर लगभग आधा हो जाएगा।
- चीन आयात से अधिक निर्यात करता है। सामान से लदी ट्रेनें चीन से पश्चिम की ओर यूरोप जाएँगी, जबकि लौटते समय इनमें चीन द्वारा यूरोप से आयातित सामान बहुत कम होगा। इस प्रकार इन ट्रेनों की वास्तविक संचालन लागत का औचित्य प्रश्नगत हो जाता है।
- रूस इस बात से चिंतित होगा कि कजाखस्तान से यूरोप तक इस रेलमार्ग को विकसित कर चीन यहाँ के ट्रांसपोर्ट-बिज़नेस से रूस को पूरी तरह बाहर करना चाहता है।
- इस निवेश से चीन-कजाखस्तान सीमा के नज़दीक दोनों ही ओर के क्षेत्रों, जो निर्जन और अविकसित हैं, का विकास संभव हो सकेगा। चीन के क्षेत्रों में वस्तुओं के विनिर्माण के लिये छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, वहीं कजाखस्तान के खोर्गोस में भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
- चीन को उम्मीद है कि अभी यहाँ किये जाने वाले निवेश का प्रतिफल 5-10 वर्षों में मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जब चीनी सामान की मध्य एशिया के साथ-साथ यूरोप के बड़े बाज़ार तक त्वरित पहुँच बन जाएगी।

सार्क समूह की पहल से पाकिस्तान बाहर

चर्चा में क्यों ?

भारत ने पाकिस्तान को सार्क सदस्य देशों की उस सूची से बाहर कर दिया है, जिन्हें भारत अपनी अत्याधुनिक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network-NKN) परियोजना से जोड़ना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

- सीमा-पार आतंकवादी हमलों के कारण भारत द्वारा लम्बे समय से आधिकारिक वार्ता को निलंबित किया जाता रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत-पाक संबंधों में तनाव का विस्तार अब अनुसंधानात्मक गतिविधियों तक भी हो गया है।
- भारत सरकार ने एक दूरसंचार कंपनी की नियुक्ति की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है जिसे NKN को छह सार्क देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के शोध और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तार करने के लिये नियुक्त किया जाना था। पाकिस्तान ही एकमात्र सार्क राष्ट्र है जिसे इस पहल से बाहर रखा गया है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network)

- यह एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी की एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) इसे लागू करने वाली एजेंसी है।
- 2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के साथ ही इसे 10 साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था।
- वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
- परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियां भी NKN का हिस्सा हैं।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान बाँटने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिये एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है।
- इस नेटवर्क के तहत, यह प्रस्ताव है कि लगभग 1500 संस्थानों के लिये 2-3 साल की समयावधिमें कोर और संबद्ध लिंक स्थापित किए जाएंगे।

आवश्यकता क्यों?

- इसकी परिकल्पना सभी उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्रों को जोड़ने और विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन आदि शीर्षों से सभी हितधारकों को एक साथ लाकर एक साझे मंच का निर्माण करने के लिये की गई है।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विचारधारा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार और निर्माण में लगी संस्थाओं जैसे- अनुसंधान प्रयोगशलाएं, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल संस्थान और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की क्षमता का उपयोग करने के लिये एक उच्च गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से इन सभी को कनेक्ट करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- यह विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे TEIN4, गरुड़(GARUDA), CERN और इंटरनेट 2(Internet2) के शोधकर्त्ताओं के बीच सहयोग को सक्षम करता है। यह दूरस्थ उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच और वैज्ञानिक डेटाबेस को साझा करने की योजना को संभव बनाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी (International connectivity)

- भारत ने NKN को सार्क देशों में वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- NKN को अब निम्नलिखित तरीकों से जोड़ा जाएगा-
  - ⇒ अफगानिस्तान से दिल्ली या मुंबई
  - ⇒ बांग्लादेश से कोलकाता या दिल्ली
  - ⇒ भूटान से कोलकाता या दिल्ली
  - ⇒ नेपाल से कोलकाता या दिल्ली
  - ⇒ मालदीव से चेन्नई या मुंबई
  - ⇒ श्रीलंका से चेन्नई या मुंबई
- NKN को चलाने के लिये एक अत्याधुनिक प्रबंधन केंद्र और नेटवर्क संचालन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
- इस अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिये अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका का भारत से कनेक्शन एक सबमरीन केबल के माध्यम से होगा।
- विभिन्न महत्वपूर्ण और उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NKN ने जिनेवा, एम्स्टर्डम और सिंगापुर में अपने अन्तराष्ट्रीय पॉइन्ट्स-ऑफ-प्रजेंस (PoP) स्थापित किये है और जल्द ही न्यूयॉर्क में भी एक PoP स्थापित करने की योजना है।

सार्क संबंधी सामान्य जानकारी

- सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं| 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।
- सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
- प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।
- संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है.

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम द्वारा वैश्विक विनिर्माण सूचकांक ज़ारी

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक से पहले विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा जारी पहली **'रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन'** रिपोर्ट में **वैश्विक विनिर्माण सूचकांक** पर भारत को 30वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोत्तम उत्पादन ढाँचे की मौजूदगी के कारण जापान को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। जापान के अतिरिक्त शीर्ष 10 देशों में दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट आधुनिक औद्योगिक रणनीतियों के विकास का विश्लेषण करते हुए सामूहिक कार्यवाही का आग्रह करती है। इस रिपोर्ट में 100 देशों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
  ⇒ अग्रणी (Leading)- वर्तमान में मज़बूत आधार, भविष्य के लिये तैयारी का उच्च स्तर।
  ⇒ उच्च क्षमता (High Potential)- वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये उच्च क्षमता।
  ⇒ लीगेसी (Legacy)- वर्तमान में मज़बूत आधार, भविष्य में ज़ोखिम।
  ⇒ विकासोन्मुख (Nascent)- वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये तैयारी का निम्न स्तर।
- इस रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी देशों में शामिल 25 देश अच्छी स्थिति में है क्योंकि वैश्विक उत्पादन प्रणाली चरघातांकीय परिवर्तन के कगार पर है, किंतु कोई भी देश तैयारी के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि वह अकेले चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा सृजित अवसरों का उत्पादन बढाने में पूर्णतया इस्तेमाल कर सके।

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति

- इसमें चीन को 5वाँ स्थान मिला है जबकि अन्य ब्रिक्स देशों ब्राज़ील (41), रूस (35) और दक्षिण अफ्रीका (45) की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है।
- भारत को हंगरी, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड और तुर्की के साथ 'लीगेसी' समूह में रखा गया है।
- चीन अग्रणी देशों की सूची में जबकि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका विकासोन्मुख देशों की सूची में शामिल हैं।
- उत्पादन के पैमाने के संदर्भ में भारत 9वें स्थान पर है, जबकि जटिलता के संदर्भ में यह 48वें स्थान पर है। बाज़ार के आकार के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर है।
- श्रम बल में महिला भागीदारी, व्यापार टैरिफ, विनियामक कुशलता और टिकाऊ संसाधनों के मामलें में भारत की रैंकिंग निम्न स्तर पर है।
- भारत अपने पडोसी देशों श्रीलंका (66 वें), पाकिस्तान (74 वें) और बांग्लादेश (80 वें) से बेहतर स्थान पर है।

- इस रैंकिंग में भारत के नीचे स्थित अन्य देशों में तुर्की, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉन्गकॉन्ग, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- भारत से बेहतर स्थान सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्राँस, मलेशिया, मैक्सिको, रोमानिया, इज़रायल, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस और स्पेन शामिल हैं।
- उत्पादन प्रणालियों को बदलने के लिये चौथी औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं का दोहन करने में सक्षम देशों की एक अलग सूची में अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद शीर्ष पाँच में सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल हैं।
- इस सूची में भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन 25वें और रूस 43वें स्थान पर है। हालाँकि भारत, ब्राजील (47 वें) और दक्षिण अफ्रीका (49 वें) से बेहतर स्थिति में है।

रिपोर्ट में भारत का संदर्भ

- वर्ष 2016 में विनिर्माण क्षेत्र में कुल $420 बिलियन के मूल्यवर्धन के साथ भारत विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा विनिर्माता है।
- पिछले तीन दशकों से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की औसतन संवृद्धि दर 7% तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 16-20% रहा है।
- विश्व की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के विनिर्मित उत्पादों की मांग में वृद्धि देखने को मिल रही है।
- भारत में उत्पादन के सभी कारकों पर सुधार की संभावनाएँ हैं। (सिवाय मांग कारक को छोड़कर जहाँ भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है)
- इस रिपोर्ट में देश को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिये 'मेक इन इंडिया' पहल और अधिक अंतर्संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास के लिये 2017 में की गई बुनियादी ढांचे में 59 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा का विशेष उल्लेख किया गया है।

भारत के लिये चुनौतियां

- मानव पूंजी और टिकाऊ संसाधनों को भारत के लिये दो सर्वप्रमुख चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके समाधान के लिये भारत को अपने अपेक्षाकृत युवा और तेजी से बढ़ते श्रमिक बल की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इसके लिये शिक्षा पाठ्यक्रम को उन्नत करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाने और डिजिटल कौशल में सुधार की जरूरत है।
- भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और उत्सर्जन स्तर को कम करने हेतु प्रयास जारी रखने होंगे क्योंकि इसके विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार आगे जारी रहेगा।

इस रिपोर्ट के अनुसार हर देश ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो अकेले निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हल नहीं की जा सकती। इसमें सरकार की सहायता हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता के परंपरागत मॉडल के पूरक के रूप में नवीन और नवाचारी दृष्टिकोणों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि सरकार नए मानको को अपना सके।

विश्व आर्थिक मंच (WORLD ECONOMIC FORUM)

- विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है।
- फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है।

- यह फोरम स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है। इस वर्ष 22-26 जनवरी को आयोजित की जाने वाली बैठक विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक होगी।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स

- Global Gender Gap Report
- Global Competitiveness Report
- Global Human Capital Report
- Travel and Tourism Competitiveness Report
- Global Risks Report
- Inclusive Growth and Development Report

रायसीना वार्ता : क्या, क्यों, कैसे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में रायसीना संवाद (Raisina Dialogue) का आयोजन किया गया।

थीम

- Managing Disruptive Transitions: Ideas, Institutions & Idioms

उद्देश्य

- एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय संबंधी संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।

इसका नाम रायसीना वार्ता क्यों है?

- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसी के नाम पर इसे रायसीना वार्ता का नाम दिया गया है।

रायसीना वार्ता क्या है?

- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ओआरएफ (Observer Research Foundation -ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- ओआरएफ नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय महासागरीय क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर आधारित सम्मेलन है।
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत न केवल विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है, बल्कि उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों और सामरिक समुदायों, मीडिया और अकादमिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है।

केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिये लाया गया था, जिसके माध्यम से उच्च गति वाले पेट्रोल और डीज़ल पर लगाया गए उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्य सड़कों और सीमा क्षेत्र सड़कों के विकास के लिये वितरित करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

अंतर्देशीय जलमार्ग का समावेशन:

- इस विधेयक के अंतर्गत उन सभी जलमार्गों को जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम (National Waterways Act), 2016 के तहत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' के रूप में घोषित किया गया है, को परिभाषित किया गया है।
- वर्तमान में इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को निर्दिष्ट किया गया हैं।

निधि का उपयोग:

- 2000 अधिनियम के तहत, इस निधि का उपयोग निम्नलिखित सड़क परियोजनाओं के लिये किया जा सकता हैं –
  ⇒ राष्ट्रीय राजमार्ग।
  ⇒ अंतर-राज्य सड़कों और आर्थिक महत्त्व की सडकों सहित राज्यों की सड़कों।
  ⇒ ग्रामीण सड़कों।
- इस विधेयक में प्रदत्त जानकारी के अनुसार, उपरोक्त के अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और रखरखाव के लिये भी इस निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की शक्तियाँ :

- इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को निधि का संचालन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये जाएंगे-
  ⇒ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर निवेश।
  ⇒ राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास और रखरखाव के लिये धन जुटाना।
  ⇒ राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों के लिये धन का वितरण।
- इस अधिनियम के तहत उच्च गति वाले डीज़ल तेल और पेट्रोल पर लगने वाले उपकर को विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

सेंट्रल रोड फंड (Central Road Fund) के विषय में

- राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास तथा रखरखाव हेतु निधि बनाने के लिये केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम (Central road fund act) 2000 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है।
- इसके तहत फंड को जुटाने के लिये सेंट्रल रोड फंड एक्ट, 2000 के अंतर्गत पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल तेल पर उपकर, आबकारी और सीमा शुल्क के रूप में लेवी जमा करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- इस निधि का उपयोग मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज (overbridges/under bridges) का निर्माण करने तथा अन्य सुरक्षा सुविधाओं के लिये किये जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतमाला सड़क परियोजना क्या है?

- भारत में परिवहन परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में यह बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। इस काम में भारतमाला सड़क परियोजना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है।
- यही कारण है कि इसके तहत 44 आर्थिक कॉरीडोरों की पहचान की गई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बाद भारतमाला दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में लगभग 50,000 किमी. सड़कों का विकास हुआ, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत अभी और 10 हज़ार किमी. सड़कों का निर्माण पूरा होना है।

- भारतमाला के तहत बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहाहै, जिसमें सीमा क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाना भी शामिल है।
- इसके अलावा सभी ज़िला मुख्यालयों को सड़कों के साथ जोड़ने की योजना है।
- आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज़ के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।
- भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 70,548 कि.मी. है। यह भारत के कुल सड़क संजाल का केवल 2% है तथा कुल यातायात का लगभग 40% वहन करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- भारत के संपूर्ण राजमार्ग संजाल को भारतीय 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (National Highways Authority of India- NHAI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिये ज़िम्मेदार है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

31 दिसंबर 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया. इसके अंतर्गत कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में तकरीबन 3.29 करोड आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया है।

- असम में अवैध आप्रवासियों (illegal immigrants) की पहचान करने के लिये सुप्रीम न्यायालय के निर्देश के बाद एन.आर.सी. को संकलित किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही असम बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों के संकट से ग्रस्त हैं,
- यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास एन.आर.सी. है, जिसे पहली बार वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है ।
- नागरिकता हेतु प्रस्तुत लगभग दो करोड़ से अधिक दावों (इनमें लगभग 38 लाख लोग ऐसे भी थे जिनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावज़ो पर संदेह था) की जाँच पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा एन.आर.सी. के पहले मसौदे को 31 दिसंबर तक प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था।

मुद्दा क्या है?

- असम में एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज़ किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- 1979 में ए.ए.एस.यू. (All Assam Students' Union - AASU) द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन (identification and deportation of illegal immigrants) की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था।
- यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।

एन.आर.सी. क्या है?

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं.

- एन.आर.सी. को वर्ष 1951 की जनगणना के बाद 1951 में तैयार किया गया था।
- इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था।

12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे भी जारी रहेगी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को 3950 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन तथा 11850 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी गई है।
- ज्ञात हो कि एमपीलैड्स की निधियाँ नोडल ज़िला प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज़ों के प्राप्त होने तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से देश की संपूर्ण आबादी को लाभ मिलेगा।
- एमपीलैड्स योजना के फलस्वरूप ऐसी विभिन्न टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है, जिन्होंने स्थानीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को किसी-ने-किसी रूप में प्रभावित किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1993-94 में लॉन्च की गई एमपीलैड्स योजना एक केंद्रीय योजना है।
- इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से अगस्त 2017 तक एमपीलैड्स निधियों से 44,929.17 करोड़ रुपए के कुल 18,82,180 कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसी बुनियादी ज़रूरतों के संबंध में आवश्यकतानुसार टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सिफारिश करने में समर्थ बनाना है।
- यह योजना कुछ दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है, जिसे अंतिम बार जून 2016 में संशोधित किया गया था।

एफडीआई नीति : ज़्यादा उदार ज़्यादा प्रगतिशील

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में अनेक संशोधनों को अपनी मंज़ूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य एफडीआई नीति को और ज़्यादा उदार एवं सरल बनाना है, ताकि देश में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे निवेश, आय एवं रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(Foreign Direct Investment - FDI)** आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

- भारत सरकार द्वारा एफडीआई के संबंध में एक निवेशक अनुकूल नीति क्रियान्वित की गई है जिसके तहत ज़्यादातर क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वतः रूट **(automatic route**) से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- हाल के महीनों में सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रों (सेक्टरों) यथा रक्षा, निर्माण क्षेत्र के विकास, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset reconstruction Companies), प्रसारण (Broadcasting), नागरिक उड्डयन (Civil Aviation), फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals), ट्रेडिंग इत्यादि में एफडीआई संबंधी नीतिगत सुधार लागू किये गए हैं।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ है, जबकि वर्ष 2013-14 में यह प्रवाह 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कुल मिलाकर 55.46 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल मिलाकर 60.08 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वकालिक उच्चतम स्तर है।

क्या संशोधन किये गए हैं?

सरकार द्वारा एफडीआई नीति में अनेक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के लिये सरकारी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं

- एसबीआरटी (Single Brand Retail Trading - SBRT) से संबंधित वर्तमान एफडीआई नीति के तहत स्वतः रूट के ज़रिये 49 प्रतिशत एफडीआई और सरकारी मंज़ूरी वाले रूट के ज़रिये 49 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक के एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- एकल ब्रांड खुदरा कारोबार करने वाले निकायों को आरंभिक 5 वर्षों के दौरान वैश्विक परिचालनों के लिये भारत से वस्तुओं की अपनी वृद्धिपरक प्राप्ति का समायोजन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
- पाँच वर्षों की यह अवधि पूरी होने के बाद एसबीआरटी निकाय के लिये हर साल सीधे अपने भारतीय परिचालन हेतु 30 प्रतिशत की प्राप्ति से जुड़े मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
- अनिवासी निकाय अथवा निकायों, चाहे वे ब्रांड के मालिक हों अथवा अन्य, को विशिष्ट ब्रांड के लिये देश में 'एकल ब्रांड' वाले उत्पाद का खुदरा कारोबार करने की अनुमति दी गई है।
- यह खुदरा कारोबार या तो सीधे ब्रांड के मालिक अथवा एकल ब्रांड का खुदरा कारोबार करने वाले भारतीय निकाय और ब्रांड के मालिक के बीच हुए कानूनी तर्कसंगत समझौते के ज़रिये किया जा सकता है।

नागरिक उड्डयन (Civil Aviation)

- वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशी एयरलाइनों को शेड्यूल्ड एवं नॉन-शेड्यूल्ड (scheduled and non-scheduled) हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में सरकारी मंज़ूरी रूट के तहत निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- यह निवेश इन कंपनियों की चूकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकता है। हालाँकि, यह प्रावधान वर्तमान में एयर इंडिया के लिये मान्य नहीं था। परंतु, अब इस पाबंदी को समाप्त करते हुए विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंज़ूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
- हालाँकि इस संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें भी रखी गई हैं-
  ⇒ विदेशी एयरलाइन या एयरलाइंस के विदेशी निवेश सहित एयर इंडिया में विदेशी निवेश (न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से) 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

⇒ भविष्य में भी एयर इंडिया के संबंध में व्यापक स्वामित्व एवं प्रभावकारी नियंत्रण का अधिकार भारतीयों के पास ही रहेगा।

निर्माण क्षेत्र (Construction Development)

- चूँकि रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा का वास्ता अचल परिसंपत्ति (रियल एस्टेट) व्यवसाय से नहीं है, इसलिये इसमें स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई को मंज़ूरी दी गई है।

पावर एक्सचेंज (Power Exchanges)

- विस्तृत नीति में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) नियमन, 2010 के तहत पंजीकृत पावर एक्सचेंजों में स्वत: रूट के ज़रिये 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- हालांकि, पहले एफआईआई/एफपीआई (Foreign Portfolio Investors - FPI/Foreign Institutional Investors – FII) के निवेश को केवल द्वितीयक बाज़ारों तक ही सीमित रखा गया था।
- परंतु अब इस प्रावधान को समाप्त करते हुए एफआईआई/एफपीआई को प्राथमिक बाज़ार के ज़रिये भी पावर एक्सचेंजों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals)

- फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़ी एफडीआई नीति में अन्य बातों के अलावा इस बात का उल्लेख किया गया है कि एफडीआई नीति में चिकित्सा उपकरणों की जो परिभाषा दी गई है वह दवा एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप होगी।
- चूँकि, इस नीति में दी गई परिभाषा अपने आप में पूर्ण है, इसलिये एफडीआई नीति से दवा एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम का संदर्भ समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा, एफडीआई नीति में दी गई 'चिकित्सा उपकरणों' की परिभाषा में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

ऑडिट कंपनियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक शर्तों का निषेध

- वर्तमान एफडीआई नीति में उन ऑडिटरों के विनिर्देश के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिनकी नियुक्ति विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय निवेश प्राप्तकर्त्ता (Indian investee companies) कंपनियों द्वारा की जा सकती है।
- एफडीआई नीति में इस बात का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है कि कोई विदेशी निवेशक यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्त्ता कंपनी के लिये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले किसी विशेष ऑडिटर/ऑडिट फर्म को निर्दिष्ट करना चाहता है, तो वैसी स्थिति में इस तरह की निवेश प्राप्तकर्त्ता कंपनियों का ऑडिट ऐसे संयुक्त ऑडिट के तहत किया जाना चाहिये जिसमें कोई एक ऑडिटर समान नेटवर्क का हिस्सा न हो।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन : प्रावधान और प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करते हुए गैर- वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बाँस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है। परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की कटाई और परिवहन के लिये अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

पृष्ठभूमि

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के खंड 2(7) में ताड़, बाँस, ठूंठ(Stumps), ब्रशवुड और बेंत को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। इसमें संशोधन के लिये नवंबर 2017 में अध्यादेश ज़ारी किया गया था। इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये दिसंबर 2017 में सरकार द्वारा लोकसभा में भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 पेश

किया गया और पारित कर दिया गया था। 26 दिसंबर, 2017 को इसे राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह अधिनियम बाँस के पेड़ों को काटने या इसकी ढुलाई के लिये अनुमति हासिल करने से छूट देने में मदद करेगा। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 से बाँस शब्द को हटा दिया गया है।
- इस संशोधन के पारित होने के बाद बाँस की नि:शुल्क आवा-जाही की अनुमति होगी जिससे कच्चे माल की मांग उत्पन्न होगी।
- इससे गैर-वन भूमि पर बाँस के वृक्षारोपण और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा तथा गाँवों और छोटे शहरों में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- हालाँकि वन क्षेत्र में उगाए गए बाँस को वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- सरकार गैर-वन क्षेत्रों में बाँस वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और देश में हरित आवरण (Green Cover) को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- वर्गीकरण विज्ञान (Taxonomy) के तहत इसे घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किंतु, इस अधिनियम में बाँस को पेड़ की परिभाषा में शामिल करने से इसके लिये पारगमन परमिट (Transit Permit) की आवश्यकता होती थी, भले ही यह निजी भूमि पर उगाया जाता हो।
- कृषकों द्वारा कई प्रतिबंधात्मक विनियामक प्रावधानों जैसे कि कटाई, पारगमन और प्रसंस्करण के लिये अनुमति की आवश्यकता, निर्यात प्रतिबंध और उत्पादों पर रॉयल्टी और पारगमन शुल्क के कारण इस क्षेत्र की पूरी क्षमताओं का उपयोग संभव नहीं हो सका है।
- यद्यपि कई राज्य सरकारों ने किसानों को आंशिक राहत देते हुए बाँस की विभिन्न प्रजातियों के लिये पारगमन और कटाई की छूट दी है। लेकिन बाँस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिये परमिट की आवश्यकता होती थी।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 में बाँस को गैर-इमारती वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि वन अधिनियम में इसे इमारती लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संशोधन से यह विसंगति दूर होगी।

संशोधन के लाभ

- बाँस की कृषि के मामले में भारत के पास कुल वैश्विक क्षेत्र का 19% भाग है किंतु वैश्विक बाज़ार में भारत का हिस्सा महज़ 6% है। वर्तमान में भारत में बाँस की मांग लगभग 28 मिलियन टन है। किंतु भारत द्वारा बड़ी मात्रा में चीन और वियतनाम से इसका आयात किया जाता है। इससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी।
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के मुताबिक भारत के केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही अगले 10 वर्षों में 5,000 करोड़ मूल्य के बाँस के कारोबार की संभावनाएँ हैं।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र बाँस के उत्पादन में काफी समृद्ध है एवं देश के 65% एवं विश्व के 20% बाँस का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत बाँस की 136 अनुवांशिक किस्मों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिनमें से 58 प्रजातियाँ उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है।
- यह संशोधन उत्तर-पूर्व और मध्य भारत में किसानों और आदिवासियों की कृषि आय को बढ़ाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

- बाँस किसानों को बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ तथा आजीविका के अवसर प्रदान कराता है। पारंपरिक रूप से यह जंगल में और आस-पास रहने वाले लोगों और किसानों द्वारा आवासीय आवश्यकताओं, खाद्य सुरक्षा और हस्तशिल्प के लिये अन्य चीज़ों के साथ उपयोग में लिया जाता है।
- यह किसानों और अन्य व्यक्तियों को कृषि भूमि और अन्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण के अलावा, बेकार पड़ी भूमि पर उपयुक्त बाँस प्रजातियों के बागानों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। भारत में उपलब्ध खेती योग्य व्यर्थ 12.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती के लिये यह एक व्यवहार्य विकल्प सिद्ध हो सकता है।
- बाँस विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे फर्नीचर बनाने, पल्प और पेपर उद्योग, हस्तशिल्प, सजावट और संगीत वाद्ययंत्रो के निर्माण में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
- यह संशोधन राष्ट्रीय बाँस मिशन की सफलता में सहायता करेगा।

विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है किंतु उनके अनुसार यह समस्या का आंशिक समाधान ही करेगा क्योंकि-

- इसमें निजी तौर पर उगाए गए बाँस और वन में उगने वाले बाँस के बीच अंतर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त वन अधिनियम में 'वन' को परिभाषित नहीं किया गया है, इस कारण 'वन क्या है' के निर्धारण में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ जाएगी। यह संशोधन जंगलों में बाँस के अवैध रूप से कटाई को प्रोत्साहित भी कर सकता है।
- इसके क्रियान्वयन में जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखना एक प्रमुख चुनौती है।
- वनों के बाहर बाँस के लिये पारगमन परमिट देने के लिये ग्राम सभा को अधिकृत किये जाने के प्रावधान का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है ताकि इनका दुरुपयोग न किया जा सके

वन अधिनियम, 1927 के इस प्रावधान के कारण बाँस पर वन विभाग का एकाधिकार रहा और बाँस के लगभग $60 अरब के वैश्विक बाजार में भारत पीछे रह गया। भारत में वनों पर बने कानून एक औपनिवेशिक और जटिल विरासत हैं। इन कानूनों को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है ताकि उपलब्ध वन-संपदा का कुशल और दक्ष तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

बाँस (BAMBOO)

- बाँस, पोएसी (Poaceae) कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह एक सपुष्पक, आवृतबीजी और एकबीजपत्री पादप है।**गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ईख, खसखस आदि इस परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य हैं।**
- यह पृथ्वी पर सबसे तेज़ बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। बाँस कटाई के बाद स्वतः पैदा हो जाता है और यह अन्य पेड़ों की तुलना में वातावरण से 25% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है।
- बाँस की अनेक किस्में होती हैं। वैज्ञानिक इसकी लगभग 600 किस्मों का अध्ययन कर चुके हैं। सभी किस्म के बाँसों के तने चिकने और जोड़दार होते हैं। इससे ये तने सख्त और मज़बूत हो जाते हैं।
- बाँस सबसे अधिक दक्षिण-पूर्व एशिया, भारतीय उप-महाद्वीप और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission)

- भारत में वन क्षेत्र का 13% हिस्सा बाँस के अंतर्गत है। देश में 137 प्रकार के बाँस उगाए जाते हैं और इनका उपयोग 1500 कार्यों में होता है।
- बाँस की इन आर्थिक क्षमताओं का दोहन करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 2006 में राष्ट्रीय बाँस मिशन शुरू किया गया।
- इसे भारत सरकार द्वारा 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई बागवानी के समन्वित विकास के लिये मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture -MIDH) की उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन को देश के 28 राज्यों में राज्य बाँस मिशन के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

- जुलाई 2017 में राष्ट्रीय बाँस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि-वानिकी और बाँस मिशन (National Agro-Forestry & Bamboo Mission -NABM) कर दिया गया है।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना

चर्चा में क्यों?

1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिये भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, बिहार तथा झारखंड राज्य के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

उत्तरी कोयल जलाशय

- यह परियोजना सोन नदी की सहायक उत्तरी कोयल नदी (यह रांची पठार से निकलती है) पर स्थित है जो झारखंड के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैदरनगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है।
- उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा ज़िलों के अत्यंत पिछड़े जनजातीय इलाके में स्थित है।
- उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है।
- इसकी सहायक नदियाँ औरंगा (Auranga) एवं अमानत (Amanat) हैं।

परियोजना की पृष्ठभूमि

- इस जलाशय का निर्माण कार्य सर्वप्रथम वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, परंतु वर्ष 1993 में इसे बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रुकवा दिया गया।
- इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊँचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया था।
- इस बांध को उस समय मंडल बांध का नाम दिया गया। इस बांध की क्षमता 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई थी।
- इसके अलावा इस परियोजना के तहत नदी के बहाव की निचली दिशा में मोहनगंज में 819.6 मीटर लंबे बैराज के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था।
- साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि बैराज के दाएँ एवं बाएँ तट से सिंचाई के लिये दो नहरें वितरण प्रणालियों समेत बनाई जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने पर झारखंड के पलामू और गढ़वा ज़िलों के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िलों के सबसे पिछड़े एवं सूखे की स्थिति वाले इलाकों में 111,521 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की व्यवस्था होने की संभावना है।

परियोजना का क्रियान्वयन

- इस परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य की निगरानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी।

वित्तीय स्थिति

- इस परियोजना की कुल लागत अभी तक 2391.36 करोड़ रुपए आंकी गई है।
- हालाँकि, अभी तक इस परियोजना के निर्माण कार्य पर करीबन 769.09 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।
- यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन वित्त वर्षों के दौरान 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

- शेष बचे कार्यों के लिये 1013.11 करोड़ रुपए के सामान्य घटकों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कोष से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से 1013.11 करोड़ रुपए भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एल.टी.आई.एफ.) से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
- बिहार और झारखंड के हिस्से के 609.16 करोड़ रुपए के शेष कार्य की लागत में से 365.5 करोड़ रुपए यानी 60 प्रतिशत एल.टी.आई.एफ. से केंद्र सरकार देगी।
- इस तरह केंद्र का कुल हिस्सा 1378.61 करोड़ रुपए हो जाएगा। लागत की 40 प्रतिशत शेष राशि 243.66 करोड़ रुपए का वहन राज्य नाबार्ड द्वारा दिये गए ऋण से करेंगे।

ए.एस.ई.आर. रिपोर्ट : देश की शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक चित्रण

चर्चा में क्यों?

एक ऐसी स्थिति में जब विश्व के कई देश अपनी उम्रदराज़ होती आबादी को लेकर चिंताग्रस्त हैं, भारत की युवा जनसंख्या एक जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति को इंगित करती है। लेकिन भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का परिणाम आर्थिक लाभांश के रूप में परिणत होता नज़र नहीं आ रहा है। भारत को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये एक प्रशिक्षित मानव शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या बुनियादी रोज़गार तक में सक्षम प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में न केवल बुनियादी शिक्षा की कमी खलती है, बल्कि आधारभूत परीक्षण की कमी की भी एक अहम् भूमिका है।

एन.जी.ओ. 'प्रथम' की रिपोर्ट

- इस संबंध में एन.जी.ओ. 'प्रथम' (Pratham) द्वारा प्रस्तुत 2017 की ए.एस.ई.आर. (Annual Status of Education Report - ASER) में चौंकाने वाले आँकड़े सामने आए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 18 साल के आयु वर्ग के लगभग 25% युवा अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से बुनियादी पाठ तक पढ़ने में सक्षम नहीं पाए गए हैं।
- आधे से अधिक बच्चों को विभाजन (3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से विभाजन करने में) करने में समस्या का सामना करना पड़ा। केवल 43% बच्चे ऐसे पाए गए जो इस प्रकार की समस्याओं का सही ढंग से हल कर पाए।
- इतना ही नहीं बल्कि, सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे सही से समय तक बताने में सक्षम नहीं हैं।
- 14-18 साल के तकरीबन 14 फीसदी ग्रामीण युवा भारत के मानचित्र की पहचान करने में असफल रहे।
- गौरतलब है कि सर्वेक्षण में शामिल 36% युवाओं को यह तक नहीं पता था कि दिल्ली भारत की राजधानी है।
- इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि मात्र 79% बच्चे ही इस सवाल का जवाब दे पाए कि "वे किस राज्य में रहते हैं?' जबकि, मात्र 42% मानचित्र पर अपने गृह राज्य को इंगित कर सकने में सक्षम रहे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ए.एस.ई.आर. 2017 के अंतर्गत 14 से 18 साल के आयु वर्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
- पूर्व ए.एस.ई.आर. रिपोर्ट के तहत देश भर के लगभग सभी ग्रामीण ज़िलों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए आँकड़े प्रस्तुत किये गए थे, इनमें ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के आँकड़े प्रस्तुत किये गए थे।
- ए.एस.ई.आर. 2017 के अंतर्गत देश के 24 राज्यों के तकरीबन 28 ज़िलों में सर्वेक्षण किया गया तथा केवल ज़िला स्तर का अनुमान तैयार किया गया था।

- 14-18 वर्ष तक के अधिकतर बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, केवल 14.4% बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पंजीकृत नहीं हैं।
- हालाँकि, इस संख्या में उम्र के बढ़ने के साथ-साथ बहुत अधिक भिन्नता आती जाती है। उदाहरण के लिये, 14 साल की उम्र में केवल 5.3% बच्चे, 17 साल की उम्र में 20.7% तथा 18 साल की उम्र में तकरीबन 30.2% बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पंजीकृत नहीं पाए गए हैं।
- वस्तुतः इस आयु वर्ग में भारत की लगभग 10% आबादी शामिल है, स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में यह आँकड़े एक गंभीर स्थिति को ओर इशारा करते है।
- इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में नामांकन के संबंध में लिंग आधारित पहलू पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें उम्र के साथ-साथ लड़कियों की संख्या में तेज़ी से आती कमी को भी इंगित किया गया है।
- जहाँ एक ओर 14 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कों और लड़कियों का नामांकन अनुपात लगभग बराबर हैं, वहीं दूसरी ओर 18 साल की उम्र में 28% लडकों की तुलना में तकरीबन 32% लड़कियाँ किसी स्कूल या कॉलेज में नामांकित नहीं पाई गई हैं।

वर्ष 2016 की ए.एस.ई.आर. रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि एन.डी.पी. के चलन में आने के बाद बच्चों की सीखने की क्षमता में निरंतर कमी आई है।
- रिपोर्ट में निहित जानकारी के अनुसार, कक्षा पाँच में पढ़ने वाले मात्र 48 फीसदी बच्चे कक्षा दो के स्तर की किताब पढ़ने में योग्य पाए गए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा तीन में पढ़ने वाले मात्र 43.2 फीसदी बच्चे ही सामान्य विभाजन करने में सक्षम पाए गए।
- इतना ही नहीं कक्षा पाँच में पढ़ने वाले प्रत्येक पाँच में से मात्र एक बच्चा ही अंग्रेज़ी पढ़ने में सक्षम पाया गया।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (Central Advisory Board of Education) के साथ-साथ कैग (comptroller and auditor general) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी एन.डी.पी. को दोषपूर्ण पाया गया।
- इतना ही नहीं तकरीबन 20 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इस नीति को हटाने अथवा संशोधित करने की मांग की गई है।